पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाने एवं ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2008 से राज्य में कृषि रोडमैप के कार्यान्वयन से दूध, अण्डा एवं मछली के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हासिल की गई है। इस विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं:

- दुग्ध उत्पादन:

प्रथम कृषि रोड मैप के पूर्व वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य का दुग्ध उत्पादन 57.7 लाख मे0 टन था, जो बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 104.9 लाख में0 टन हो गया। प्रथम कृषि रोड मैप के पूर्व वर्ष 2007-08 में दुग्ध उपलब्धता 154 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन था, जो बढकर वर्ष 2019-20 में लगभग 270 ग्राम हो गया है। वर्तमान में राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता आई0सी0एम0आर0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रति व्यक्ति आवश्यकता 220 ग्राम से अधिक है।

- अंडा उत्पादनः

प्रथम कृषि रोड मैप के पूर्व वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य में अंडे का वार्षिक उत्पादन 10612 लाख था, जो बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 27408 लाख हो गया। पिछले 2 वषों से अंडे के उत्पादन में लगातार लगभग 50 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गयी है। प्रथम कृषि रोड मैप के पूर्व वर्ष 2007-08 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता 10.30 थी, जो बढकर वर्ष 2019-20 में 26 हो गयी है।

मुर्गी पालन के क्षेत्र में अंडा उत्पादन,रोजगार सृजन एवं पोषण सुरक्षा हेतु राज्य में लेयर फार्म का निर्माण किया जा रहा है ।

सचिव,पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा उक्त फार्म का निरीक्षण किया गया (Bathua Bujurg,Samastipur poultry Farm (Layer 10000 capacity,19 -20))

- मांस उत्पादनः

प्रथम कृषि रोड मैप के पूर्व वितीय वर्ष 2007-08 में राज्य का वार्षिक मांस उत्पादन 1.80 लाख में0 टन था, जो बढ़ कर वितीय वर्ष 2019-20 में 3.83 लाख में0 टन हो गया। कृषि रोड मैप में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति लगातार की जा रही है। प्रथम कृषि रोड मैप के पूर्व वर्ष 2007-08 में प्रति व्यक्ति वार्षिक मांस उपलब्धता 2.58 किलोग्राम थी, जो बढकर वर्ष 2019-20 में 3.69 किलोग्राम हो गयी है।

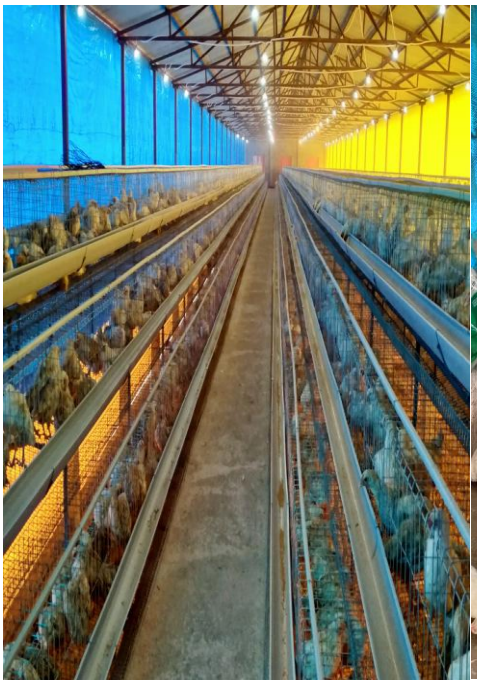

1000 लेयर फार्म की स्थापना

ब्रायलर फार्म

बकरी फार्म (100+5 क्षमता)(राणा सिंह,खगड़िया)

बकरी फार्म (100+5 क्षमता) (प्रशांत कुमार, सीतामढ़ी)

- मत्स्य उत्पादनः

  प्रथम कृषि रोड मैप के पूर्व वितीय वर्ष 2007-08 में राज्य का वार्षिक मत्स्य उत्पादन 2.88 लाख में0 टन था, जो बढ़ कर वितीय वर्ष 2019-20 में 6.41 लाख में0 टन हो गया। प्रथम

कृषि रोड मैप के पूर्व वर्ष 2007-08 में प्रति व्यक्ति वार्षिक मछली की उपलब्धता 6.63 किलोग्राम थी, जो बढकर वर्ष 2019-20 में 8.82 किलोग्राम हो गयी है।

- टीकाकरणः

प्रथम कृषि रोड मैप के पूर्व पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोगों से दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रभावित होने के कारण पशुपालकों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता था। प्रथम कृषि रोड मैप से पशुओं में विभिन्न रोगो के विरू़द्ध प्रभावी ढंग से टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे इन रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सका है। पशुओं को संक्रामक रोग से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम विगत कई वर्षो से चलाये जा रहे है। गो जाति एवं भैंस जाति के सभी पशुओं को गलाघोटु, लंगड़ी, खुरपका मुहपका रोग के विरूद्ध तथा चार से आठ माह के मादा पशुओं (बाछी एवं पाड़ी) को ब्रुसेलोसिस रोग से बचाव हेतु टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अलावा भेड़ - बकरियों के लिये पी0पी0आर0 (Peste des petits ruminants) रोग से बचाव हेतु टीकाकरण कराया जाता है।

इसके तहत गत वर्ष खुरहा एवं मुँहपका रोग (FMD) के विरूद्ध दो चरणों में कुल 330 लाख, गलाघोंटु (HS) एवं लंगड़ी (BQ) रोग के विरूद्ध कुल 165 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया। पी0पी0आर0 (PPR) रोग के विरूद्ध कुल 109 लाख भेंड एवं बकरीयों को टीकाकृत किया गया। इसके अतिरिक्त 4-6 माह के कुल लगभग 11 लाख बाछियों/पाड़ियों को ब्रुसेलोसिस रोग से बचाव हेतु टीकाकृत किया गया।

ईयर टैगिंग (140 लाख) पशुओं का किया जा चुका है।

पशु टीकाकरण कार्यक्रम

- इयर टैगिंग:

  राज्य के सभी पशुओं के पहचान हेतु इयर टैगिंग का कार्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत अबतक लगभग 140 लाख पशुओं का ईयर टैगिंग किया जा चुका है। इससे राज्य के सभी पशुओं को टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, अंतः कृमिनाशन (Deworming) से पूर्ण रूप से आच्छादित करना संभव हो सकेगा। इसके साथ ही इयर टैगिंग से पशुपालकों को विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने में सहायक सबित होगा।

- पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से 84.27 करोड़ की लागत से मरंगा, पूर्णियां में नये सीमेन स्टेशन की स्थापना की गयी हैI वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य में कुल 36.76 लाख पशुओं तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक 26 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान से आच्छादित किया गया है।

फ्रोजेन सीमेन स्टेशन मरंगा, पूर्णियां

कलेक्शन शेड

बुल शेड

कलेक्शन शेड

प्रशासनिक कार्यालय

- राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कॉम्फेड के माध्यम से पशुपालकों को राज्य सरकार के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। कॉम्फेड के दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 10 परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस वर्ष 234.75 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही कॉम्फेड को इस वर्ष 2020-21 में रुपये 66.53 करोड़ मात्र उपलब्ध भी कराया जा चुका है। अगले तीन वर्षों में वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना किया जाएगा।

- लॉकडाउन की अवधि में आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को ''पोषक सुधा'' (दुग्ध चूर्ण) के 200 ग्राम के पैकेट प्रत्येक बच्चे को होम डिलीवरी के रूप में प्रत्येक माह उपलब्ध कराया गया है। इस कारण से लॉकडाउन की अवधि में आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द रहने के बावजूद भी पोषक आहार उपलब्ध कराना संभव हो पाया। इसके अतिरिक्त कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए बनाये गये कोरन्टाईन केन्द्रों में भी कॉम्फेड से दुग्ध चूर्ण की आपूत्ति की गई। इस तरह लॉकडाउन की अवधि में कुल 2157.4 मीट्रिक टन दुग्ध चूर्ण की आपूत्रि की गई, जिसकी लागत 70 करोड़ रूपये है।

पोषक सुधा

- बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित पशुओं के लिए पशु शिविर लगाकर 1.44 लाख पशुओं का चिकित्सा किया गया एवं 2985.51 क्विंटल चारा का वितरण किया गया। पशुओं की मृत्यु की स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर मुआवजा राशि देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित कर तद्नुसार कार्रवाई किया जा रहा है।

इसी तरह बाढ़ से प्रभावित मत्स्यपालकों को भी अनुमानित मुआवजा देने की कार्रवाई किया जा रहा है।

- राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र में आशातीत विकास हुआ है। वर्ष 2010-11 से अब तक कुल 36,000 मत्स्य कृषकों को राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर ''आधुनिक तकनीक से मत्स्य पालन'' पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है। फलस्वरूप मत्स्यपालकों के द्वारा आधुनिक तकनीक अपनाकर मत्स्य पालन किया जा रहा है।
- वर्ष 2019-20 में 90 प्रतिशत अनुदान पर अतिपिछड़ी जातियों के लिए पहली बार योजना प्रारंभ की गई, जिसमें तालाब निर्माण, प्रथम वर्ष इनपुट, मत्स्य विपणन हेतु टू, थ्री एवं फोर व्हीलर वाहन का वितरण आदि शामिल है। राज्य में पहली बार वर्ष 2019-20 में बायोफ्लॉक तकनीक से मत्स्यपालन की योजना प्रारंभ की गई , जिसके तहत अभी तक कुल 194 बायोफ्लॉक यूनिट अधिष्ठापित किया जा चुका है।

मत्स्य हैचरी

नया तालाब

फोर व्हीलर वाहन वितरण

मोपेड सह आइस बॉक्स वाहन वितरण

थ्री व्हीलर वाहन वितरण

बायोफ़्लौक मत्स्य फ़ार्मिंग

चौर विकास

- भारत सरकार के द्वारा राज्य में मात्स्यिकी के समग्र विकास हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की स्वीकृति अगले पाँच वर्षों यानि 2020-21 से 2024-24 तक प्रदान की गयी है। इस योजना के तहत मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता , आधारभूत संरचना एवं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना यथा- मत्स्य हैचरी का निर्माण, तालाब/रियरिंग का निर्माण, बायोफ्लॉक, आर°ए°एस°, कोल्ड चेन, केज कल्चर, चौर विकास की योजना , वेटलैंड स्टॉकिंग आदि को कार्य किया जाना है। इस वर्ष मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति से इस योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

<u>सात निश्चय-2 के तहत भावी कार्यक्रम (वर्ष 2021-22):</u>

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प-955 , दिनांक-15.12.2020 के द्वारा सुशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 में शामिल किया गया है। जिसके तहत निम्नांकित कार्यक्रम एवं विकासात्मक योजनाएँ वर्ष 2021-22 में संचालित किया जाना प्रस्तावित है:-

1. पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास:

- आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार।
- मुर्गीपालन, मछलीपालन आदि को बढ़ावा दिया जायेगा।
- राज्य में स्थित चैर क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जाना।
- अन्य क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों एवं बड़े जलाश्यों में मछलीपालन का बढ़ाबा।
- आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रसार तथा मछलीपालन के पूरे उत्पादन श्रृंखला पर काम करना।
- मछली के उत्पादन को इतना बढ़ाना कि बिहार की मछली अन्य राज्यों में जायेगी, जिससे राज्य के पशुपालकों एवं मछलीपालकों के आय में वृद्धि करने का प्रयास।

2. बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत संरचनाएँ:

- कॉल सेंटर एवं मोबाईल एप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था। प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था, पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं को डोर स्टेप डिलिवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जायेगी ताकि लोग कॉल सेंटर में फोन कर अथवा मोबाई एप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। टेलिमेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल जुड़े रहेंगे, जिनसे चिकित्सा परामर्श दिया जा सकेगा और आवश्यकतानुसार मोबाईल यूनिटस के माध्यम से पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के द्वारा लोगों के घरों में पहूँचकर पशु चिकित्सा एवं अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था। पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा निःशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था।
- देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना।